

परबतसर  
 (शिवराज सिंह) (राजपूत)  
 04/02/22

जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहसीर जारी हो।  
 खानपुर के खसरा नम्बर 266 रकबा 4.78 हैक्टयर में प्रार्थी का नाम शिवराज सिंह के स्थान पर शिवराज सिंह दर्ज किया  
 अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम  
 जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।  
 होना स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजाल से भी प्रार्थी का सही नाम शिवराजसिंह होना प्रतीत होता है।  
 जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण / राजपूतोंका तहसीलदार परबतसर को कोई आपत्ति नहीं  
 इकबालिया जबाब / राजीनामा पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया  
 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्बन्ध में अप्रार्थीगण एवं राजपूतोंका तहसीलदार परबतसर ने  
 राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का निवेदन किया है।  
 से प्रार्थी को भारी पेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कर  
 अन्य सभी दस्तावेजाल में प्रार्थी का नाम शिवराजसिंह पुत्र शेरसिंह है। दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड में नाम में भिन्नता होने  
 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम शिवराज सिंह पुत्र शेरसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम शिवराजसिंह है। प्रार्थी के  
 प्रार्थी की आरे से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खानपुर के खसरा 266 रकबा 4.78

आदेश

सुकदमा नम्बर :- 2021/178

आदेश दिनांक :- 24/02/22

प्रार्थना पत्र बाबत :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

1. नटवरसिंह पुत्र शेरसिंह राजपूत
2. उषाकंवर पत्नी शेरसिंह राजपूत
3. तहसीलदार, परबतसर

शिवराज सिंह पुत्र शेरसिंह राजपूत  
 निवासी खानपुर तह. परबतसर

अप्रार्थीगण

बनाम

प्रार्थीगण :-

न्यायालय उपखण्ड अहिकारी परबतसर (नागौर) राज.  
 पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट, आर.प.एस.